



36755 - कुर्बानी के जानवर की शर्तें

प्रश्न

मैं अपनी और अपने बच्चों की तरफ से कुर्बानी करने की इच्छा रखता हूँ, तो क्या कुर्बानी के जानवर के कुछ निर्धारित गुण और विशेषतायें हैं ? या मेरे लिए किसी भी बकरी की कुर्बानी करना उचित है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुर्बानी के जानवर की छः शर्तें हैं :

पहली शर्त :

वे बहीमतुल अनआम (चौपायों) में से हों, और वे ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है : "और हर उम्मत के लिये हम ने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि वे उन बहीमतुल अनआम (चौपाये जानवरों) पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है।" (सूरतुल हज्ज : 34)

बहीमतुल अनआम (पशु) से मुराद ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं, अरब के बीच यही जाना जाता है, इसे हसन, कतादा, और कई लोगों ने कहा है।

दूसरी शर्त :

वे जानवर शरीअत में निर्धारित आयु को पहुँच गये हों इस प्रकार कि भेड़ जज़आ हो, या दूसरे जानवर सनिय्या हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "तुम मुसिन्ना जानवर ही कुर्बानी करो, सिवाय इस के कि तुम्हारे लिए कठिनाई हो तो भेड़ का जज़आ कुर्बानी करो।" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।)

मुसिन्ना : सनिय्या या उस से बड़ी आयु के जानवर को कहते हैं, औ जज़आ उस से कम आयु के जानवर को कहते हैं।

ऊँट में से सनिय्या : वह जानवर है जिस के पाँच साल पूरे हो गये हों।

गाय में से सनिय्या : वह जानवर है जिस के दो साल पूरे हो गये हों।



बकरी में से सनिय्या : वह जानवर है जिस का एक साल पूरा हो गया हो।

और जज़आ : उस जानवर को कहत हैं जो छह महीने का हो।

अतः ऊँट, गाय और बकरी में से सनिय्या से कम आयु के जानवर की कुर्बानी करना शुद्ध नहीं है, भेड़ में से जज़आ से कम आयु की कुर्बानी नहीं है।

तीसरी शर्त :

वे जानवर उन दोषों (ऐबों और कमियों) से मुक्त (खाली) होने चाहिये जिनके होते हुये वे जानवर कुर्बानी के लिए पर्याप्त नहीं हैं, औ वे चार दोष हैं :

1- स्पष्ट कानापन : और वह ऐसा जानवर है जिस की आँख धंस गई (अंधी हो गई) हो, या इस तरह बाहर निकली हुई हो कि वह बटन की तरह लगती हो, या इस प्रकार सफेद हो गई हो कि साफ तौर पर उसके कानेपन का पता देती हो।

2- स्पष्ट बीमारी : ऐसी बीमारी जिस की निशानियाँ पशु पर स्पष्ट हों जैस कि ऐसा बुखार जो उसे चरने से रोक दे और उसकी भूख को मार दे, और प्रत्यक्ष खुजली जो उसके गोश्त को खराब कर दे या उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे, और गहरा घाव जिस से उस का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाये, इत्यादि।

3- स्पष्ट लेंगड़ापन : जो पशु को दूसरे दोषरहित पशुओं के साथ चलने से रोक दे।

4- ऐसा लागरपन जो गूदा को समाप्त करने वाला हो : क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया कि कुर्बानी के जानवरों में किस चीज़ से बचा जाये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से संकेत करते हुये फरमाया : "चार : लेंगड़ा जानवर जिस का लेंगड़ापन स्पष्ट हो, काना जानवर जिस का कानापन स्पष्ट हो, रोगी जानवर जिस का रोग स्पष्ट हो, तथा लागर जानवर जिस की हड्डी में गूदा न हो।" इसे इमाम मालिक ने मुवत्ता में बरा बिन आज़िब की हदीस से रिवायत किया है, और सुनन की एक रिवायत में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे बीच खड़े हुये और फरमाय कि : "चार चीज़ें (दोष और खामियाँ) कुर्बानी के जानवर में जाइज़ नहीं हैं।" और आप ने पहली हदीस के समान ही उल्लेख किया। इसे अल्बानी ने इर्रवाउल गलील (1148) में सहीह कहा है।

ये चार दोष और खामियाँ कुर्बानी के जानवर के पर्याप्त होने में रुकावट हैं (अर्थात् इन में से किसी भी दोष से पीड़ित जानवर की कुर्बानी जाइज़ नहीं है), इसी तरह जिन जानवरों में इन्हीं के समान या इन से गंभीर दोष और खामियाँ होंगी उन पर भी यही हुक्म लागू होगा, इस आधार पर निम्नलिखित जानवरों की कुर्बानी जाइज़ नहीं है :



- 1- वह जानवर जो दोनों आँख का अंधा हो।
- 2- वह जानवर जिस का पेट अपनी क्षमता से अधिक खाने के कारण फूल गया हो, यहाँ तक कि वह पाखान कर दे, और खतरे से बाहर हो जाये।
- 3- वह जानवर जो जने जाने के समय कठिनाई से पीड़ित हो जाये यहाँ तक कि उस से खतरा टल जाये।
- 4- ऊँचे स्थान से गिरने या गला गुँठने आदि के कारण मौत के खतरे का शिकार जानवर यहाँ तक कि वह खतरे से बाहर हो जाये।
- 5- किसी बीमारी या दोष के कारण चलने में असमर्थ जानवर।
- 6- जिस जानवर का एक हाथ या एक पैर कटा हुआ हो।

जब इन दोषों और खामियों को उपर्युक्त चार नामजद (मनसूस) खामियों के साथ मिलाया जाये तो उन खामियों (ऐबों) की संख्या जिन के कारण कुर्बानी जाइज़ नहीं है दस हो जाती है। ये छह खामियाँ और जो पिछली चार खामियों से पीड़ित हो।

चौथी शर्त :

वह जानवर कुर्बानी करने वाले की मिल्कियत (संपत्ति) हो, या शरीअत की तरफ से या मालिक की तरफ से उसे उस जानवर के बारे में अनुमति प्राप्त हो। अतः ऐसे जानवर की कुर्बानी शुद्ध नहीं है जिस का आदमी मालिक न हो जैसे कि हड़प किया हुआ, या चोरी किया हुआ, या झूठे दावा के द्वारा प्राप्त किया गया जानवर इत्यादि ; क्योंकि अल्लाह तआला की अवज्ञा के द्वारा उस का सामीप्य और नज़दीकी प्राप्त करना उचित नहीं है।

तथा अनाथ के संरक्षक (सरपरस्त) के लिये उस के धन से उसकी तरफ से कुर्बानी करना वैध है अगर उसकी परम्परा है और कुर्बानी न होने के कारण उस के दिल के टूटने का भय है।

तथा वकील (प्रतिनिधि) का अपने मुविक्कल के माल से उसकी अनुमति से कुर्बानी करना उचित है।

पाँचवीं शर्त :

उस जानवर के साथ किसी दूसरे का हक़ (अधिकार) संबंधित न हो, चुनाँचि उस जानवर की कुर्बानी मान्य नहीं है जो किसी दूसरे की गिरवी हो।

छठी शर्त :

शरीअत में कुर्बानी का जो सीमित समय निर्धारित है उसी में उसकी कुर्बानी करे, और वह समय कुर्बानी (10 जुलहिज्जा) के दिन ईद की नमाज़ के बाद से अय्यामे तश्रीक अर्थात् 13वीं जुलहिज्जा के दिन सूर्यास्त तक है। इस तरह बलिदान के दिन चार हैं : नमाज़ के बाद से ईद का दिन, और उस के बाद अतिरिक्त तीन दिन। जिसने ईद की नमाज़ से फारिग होने से पहले, या तेरहवीं जुलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद कुर्बानी किया तो उस की कुर्बानी शुद्ध और मान्य नहीं है ; क्योंकि इमाम बुखारी ने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस ने ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी की तो उस ने अपने घर वालों के लिए गोश्त तैयार किया है, और उस का धार्मिक परंपरा से (कुर्बानी की इबादत) से कोई संबंध नहीं है।" तथा जुनदुब बिन सुफयान अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा : "मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास उपस्थित था जब आप ने फरमाया : "जिस ने - ईद की- नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दिया वह उस के स्थान पर दूसरी कुर्बानी करे।" तथा नुबैशा अल-हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "तश्रीक के दिन खाने, पीने और अल्लाह अज़्जा व जल्ल को याद करने के दिन हैं।" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

किन्तु यदि किसी कारणवश तश्रीक के दिन (13 जुलहिज्जा) से विलंब हो जाये, उदाहरण के तौर पर बिना उसकी कोताही के कुर्बानी का जानवर भाग जाये और समय बीत जाने के बाद ही मिले, या किसी को कुर्बानी करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) बना दे और वकील भूल जाये यहाँ तक कि कुर्बानी का समय निकल जाये, तो उज्र के कारण समय निकलने के बाद कुर्बानी करने में कोई बात नहीं है, तथा उस आदमी पर क्रियास करते हुये जो नमाज़ से सो जाये या उसे भूल जाये, तो वह सोकर उठने या उसके याद आने पर नमाज़ पढ़ेगा।

निर्धारित समय के अंदर दिन और रात में किसी भी समय कुर्बानी करना जाइज़ है, जबकि दिन में कुर्बानी करना श्रेष्ठ है, तथा ईद के दिन दोनों खुत्वों के बाद कुर्बानी करना अफज़ल हैं, तथा हर दिन उसके बाद वाले दिन से श्रेष्ठ है ; क्योंकि इस में भलाई की तरफ पहल और जल्दी करना पाया जाता है।